न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी—कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 52 / 2023
GCMS CASE NO-2023/52
1. नगरपालिका सूरतगढ जरिये अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सूरतगढ

—अपीलांट

बनाम

1. लक्ष्य प्राईम इण्डिया इन्फा डवलपर्स लिमिटेड सी—1 वैशाली नगर जयपुर जरिये मेनेजिंग डायरेक्टर
1/1 कमलदीप सिंह पुत्र श्री गुरमेल सिंह जाति जटसिख साकिन चक ज्वालासिंहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ
1/2 बहादुर सिंह पुत्र प्रभातीराम जाति जाट साकिन मकान न0 131 नजदीक खालसा पब्लिक स्कूल सैक्टर, न0 12 हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ।

—रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः—
1. श्री शीशपाल शर्मा अधिवक्ता, अपीलांट
2. श्री रामप्रताप तिवाडी अधिवक्ता रेस्पो. 1/1, 1/2
3. पैरोकार राज, रेस्पोडेंट संख्या 2

:: निर्णय :: दिनांकः— 27.08.2024

अपील के संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है। तहसीलदार सूरतगढ द्वारा दिनांक 2.2.2023 जिसकी रूह से रोही कस्बा सूरतगढ का इंतकाल संख्या 1225 स्वीकृत कर नगरपालिका सूरतगढ के नाम के रोही कस्बा सूरतगढ के ख.न. 811/325 के 0.986 है0 गैरमुमकिन रकबा को उत्तरवादी न0 1 के नाम दर्ज कर इंतकाल स्वीकृत किया जो कानून के प्रावधानों व प्राकृतिक न्याय के विपरीत होने से काबिल निरस्ती है। रोही कस्बा सूरतगढ के ख.न. 811/325 में 1.112 है0 रकबा उत्तरवादी संख्या 1/1 कमलदीप पुत्र श्री गुरमेल सिह जाति जटसिख साकिन चक ज्वालासिंहवाला मेनेजिंग डायरेक्टर लक्ष्य प्राईम इण्डिया इन्फा डवलपर्स लिमिटेड सी—1 वैशाली नगर जयपुर के नाम से खातेदारी था जो उसे इंतकाल संख्या 762 स्वीकृति दिनांक 30.6.2017 से बारानी खातेदारी खाता विभाजन से प्राप्त हुआ तथा संपरिवर्तन नगरपालिका सूरतगढ द्वारा कर दिये जाने के बाद इंतकाल संख्या 770 रवीकृति दिनांक 8.9.2017 से नगरपालिका सूरतगढ के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के समक्ष एक राजरव वाद संख्या 125/2010 बउनवान सरोजदेवी बनाम रामनाथ प्रस्तुत हुआ जिसमें खाता विभाजन का आदेश हेतु निर्णय व प्राथमिक डिकी 29.4.2016 को व संशोधित डिकी दिनांक 8.6.2017 को जारी हुई जिसके आधार पर इंतकाल संख्या 690 रवीकृति दिनांक 19.08.2016 व इंतकाल संख्या 762 दिनांक 30.06.2017 को उत्तरवादी न 1/1 कमलदीप सिंह पुत्र गुरमेल सिंह के नाम से रोही करबा सूरतगढ के ख.न. 811/325 में 1.112 है0 बारानी रकबा खातेदारी दर्ज रिकार्ड हुआ तथा इस रकबा का कमलदीप सिंह पुत्र गुरमेल सिंह ने कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सूरतगढ से संपरिवर्तन करवाकर जरिये इंतकाल संख्या 770 दिनांक 8.9.2017 से नगरपालिका सूरतगढ के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ (जिला—श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.27 18:05:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

नाम 1.081 है0 गैरमुमकिन रकबा नगरपालिका सूरतगढ के नाम दर्ज हुआ है। कमलदीप के नाम से इंतकाल संख्या 690 स्वीकृति दिनांक 19.8.2016 के विरूद्ध अपील संख्या 98/2022 लक्ष्य प्राईम इण्डिया इन्फ्रा डवलपर्स लिमिटेड सी–1 वैशाली नगर जयपुर जरिये डायरेक्टर बहादुर सिंह पुत्र प्रभातीराम जाति जाट साकिन मकान न0 131 नजदीक खालसा पब्लिक स्कूल सेक्टर न0 12 हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ बनाम राजस्थान सरकार व इंतकाल संख्या 762 स्वीकृति दिनांक 30.6.2017 के विरूद्ध अपील संख्या 99/2022 लक्ष्य प्राईम इण्डिया बनाम राजस्थान सरकार बअदालत श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय सूरतगढ के न्यायालय में प्रस्तुत हुई ये दोनो अपीले दिनांक 23.11.2022 को स्वीकार हो गई है व इन दोनों निर्णय के खिलाफ श्रीमान संभागीय आयुक्त बीकानेर मे द्वितीय अपील संख्या 135/2022 व 136/2022 प्रस्तुत हुई दिनांक 25.01.2023 को उक्त दोनो अपीले खारिज हो गई है। अपीलांट के नाम दर्ज इंतकाल की कोई अपील पेश नहीं हुई व ना ही नगरपालिका सूरतगढ के नाम दर्ज रकबा का नगरपालिका से कलमजन करने के आदेश किसी न्यायालय ने नहीं दिया फिर भी श्रीमान संभागीय आयुक्त द्वारा पुष्टी आदेश की आड में नगरपालिका सूरतगढ के नाम का रोही कस्बा सूरतगढ के ख.न. 811/325 में 0.986 है0 गैरमुमकिन रकबा कस्बा सूरतगढ के इंतकाल नम्बर 1225 स्वीकृति दिनांक 02.02.2023 से यह गैर मुमकिन रकबा उत्तरवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज कर दिया गया। रोही कस्बा सूरतगढ के ख.न. 811/325 में 1.081 है0 गैरमुमकिन रकबा जो नगरपालिका सूरतगढ के नाम इंतकाल संख्या 770 दिनांक 8.9.2017 से दर्ज था यह इंतकाल किसी भी न्यायालय ने निरस्त नहीं किया है तथा यह रकबा किसी भी न्यायालय ने नगरपालिका सूरतगढ के नाम से कलमजन का आदेश भी नहीं दिया था इसलिए आदेश शून्य है। रोही कस्बा सूरतगढ के ख.न. 811/325 में 1.081 है0 गैरमुमकिन रकबा कमलदीप पुत्र श्री गुरमेल सिह जरिये एम. डी. लक्ष्य प्राईम इण्डिया इन्फ्रा डवलपर्स लिमिटेड सी 1 वैशाली नगर जयपुर के नाम खातेदारी था इस रकबा के कृषि भूमि से गैर मुमकिन हेतु संपरिवर्तन आदेश को किसी भी न्यायालय ने निरस्त नहीं किया है तथा संपरिवर्तन आदेश आज भी प्रभावी है। फिर भी उत्तरवादी न0 2 ने जैर अपील इंतकाल से अपीलांट का गैर मुमकिन रकबा उत्तरवादी न0 1 के नाम गैर मुमकिन दर्ज कर दिया इसलिए इंतकाल काबिल निरस्ती है। अतः अपील स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश दिनांक 2.2.2023 जिससे इंतकाल संख्या 1225 स्वीकार किया गया है निरस्त किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

सर्वप्रथम धारा 5 मियाद प्रार्थनापत्र पर बहस सुनी गई वकील अपीलांट ने कथन किया कि दिनांक 13.03.2023 को इस रकबा की जमाबंदी की नकल प्राप्त की तो उसमें इस इंतकाल का नोट अंकन था व जानकारी होते ही बिना किसी देरी के इंतकाल की नकल प्राप्त कर अपील पेश की गई अतः अपील अंदर मियाद स्वीकार की जावे। वकील रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा जानबूझकर अपील पेश करने में देरी की गई है अपीलांट को उक्त इंतकाल की भलीभांति जानकारी थी केवल रेस्पोडेंट को परेशान करने की नीयत से अपील पेश की गई है जो खारिज योग्य है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई अपीलांट्स ने प्रार्थनापत्र में देरी का जो कारण बताया है वह संतोष जनक है। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है। इसलिए हम हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दुओं के आधार पर करने की बजाय गुणावगुण पर करना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ (जिला ...)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.27 13:05:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

तत्पश्चात गुणावगुण के आधार पर बहस उभयपक्ष सुनी गई वकील अपीलांट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार सूरतगढ द्वारा दिनांक 2.2.2023 जिसकी रूह से रोही कस्बा सूरतगढ का इंतकाल संख्या 1225 स्वीकृत कर नगरपालिका सूरतगढ के नाम के रोही कस्बा सूरतगढ के ख.न. 811/325 के 0.986 है0 गैरमुमकिन रकबा को उत्तरवादी न0 1 के नाम दर्ज कर इंतकाल स्वीकृत किया जो कानून के प्रावधानों व प्राकृतिक न्याय के विपरीत होने से काबिल निरस्ती है। रोही कस्बा सूरतगढ के ख.न. 811/325 में 1.112 है0 रकबा उत्तरवादी संख्या 1/1 कमलदीप पुत्र श्री गुरमेल सिह जाति जटसिख साकिन चक ज्वालासिंहवाला मेनेजिंग डायरेक्टर लक्ष्य प्राईम इण्डिया इन्फ्रा डवलपर्स लिमिटेड सी-1 वैशाली नगर जयपुर के नाम से खातेदारी था जो उसे इंतकाल संख्या 762 स्वीकृति दिनांक 30.6. 2017 से बारानी खातेदारी खाता विभाजन से प्राप्त हुआ तथा संपरिवर्तन नगरपालिका सूरतगढ द्वारा कर दिये जाने के बाद इंतकाल संख्या 770 स्वीकृति दिनांक 8.9.2017 से नगरपालिका सूरतगढ के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के समक्ष एक राजस्व वाद संख्या 125/2010 बअनवान सरोजदेवी बनाम रामनाथ प्रस्तुत हुआ जिसमें खाता विभाजन का आदेश हेतु निर्णय व प्राथमिक डिक्री 29.4.2016 को व संशोधित डिक्री दिनांक 8.6.2017 को जारी हुई जिसके आधार पर इंतकाल संख्या 690 स्वीकृति दिनांक 19.08.2016 व इंतकाल संख्या 762 दिनांक 30. 06.2017 को उत्तरवादी न 1/1 कमलदीप सिंह पुत्र गुरमेल सिंह के नाम से रोही कस्बा सूरतगढ के ख.न. 811/325 में 1.112 है0 बारानी रकबा खातेदारी दर्ज रिकार्ड हुआ तथा इस रकबा का कमलदीप सिंह पुत्र गुरमेल सिंह ने कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सूरतगढ से संपरिवर्तन करवाकर जरिये इंतकाल संख्या 770 दिनांक 8.9.2017 से नगरपालिका सूरतगढ के नाम 1.081 है0 गैरमुमकिन रकबा नगरपालिका सूरतगढ के नाम दर्ज हुआ है। कमलदीप के नाम से इंतकाल संख्या 690 स्वीकृति दिनांक 19.8.2016 के विरूद्ध अपील संख्या 98/2022 लक्ष्य प्राईम इण्डिया इन्फ्रा डवलपर्स लिमिटेड सी-1 वैशाली नगर जयपुर जरिये डायरेक्टर बहादुर सिंह पुत्र प्रभातीराम जाति जाट साकिन मकान न0 131 नजदीक खालसा पब्लिक स्कूल सेक्टर न0 12 हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ बनाम राजस्थान सरकार व इंतकाल संख्या 762 स्वीकृति दिनांक 30.6.2017 के विरूद्ध अपील संख्या 99/2022 लक्ष्य प्राईम इण्डिया बनाम राजस्थान सरकार बअदालत श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय सूरतगढ के न्यायालय में प्रस्तुत हुई ये दोनो अपीले दिनांक 23.11.2022 को स्वीकार हो गई है व इन दोनों निर्णय के खिलाफ श्रीमान संभागीय आयुक्त बीकानेर मे द्वितीय अपील संख्या 135/2022 व 136/2022 प्रस्तुत हुई दिनांक 25.01.2023 को उक्त दोनो अपीले खारिज हो गई है। अपीलांट के नाम दर्ज इंतकाल की कोई अपील पेश नहीं हुई व ना ही नगरपालिका सूरतगढ के नाम दर्ज रकबा का नगरपालिका से कलमजन करने के आदेश किसी न्यायालय ने नहीं दिया फिर भी श्रीमान संभागीय आयुक्त द्वारा पुष्टी आदेश की आड में नगरपालिका सूरतगढ के नाम का रोही कस्बा सूरतगढ के ख.न. 811/325 में 0.986 है0 गैरगुमकिन रकबा कस्बा सूरतगढ के इंतकाल नम्बर 1225 स्वीकृति दिनांक 02.02.2023 से यह गैर मुमकिन रकबा उत्तरवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज कर दिया गया। रोही कस्बा सूरतगढ के ख.न. 811/325 में 1.081 है0 गैरमुमकिन रकबा जो नगरपालिका सूरतगढ के नाम इंतकाल संख्या 770 दिनांक 8.9.2017 से दर्ज था यह इंतकाल किसी भी न्यायालय ने निरस्त नहीं किया है तथा

अतिरिक्त जिला ... सूरतगढ (जिला श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.27 18:05:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

यह रकबा किसी भी न्यायालय ने नगरपालिका सूरतगढ के नाम से कलमजन का आदेश भी नहीं दिया था इसलिए आदेश शून्य है। रोही करबा सूरतगढ के ख.न. 811/325 में 1.081 है0 गैरमुमकिन रकबा कमलदीप पुत्र श्री गुरमेल सिह जरिये एम. डी. लक्ष्य प्राईम इण्डिया इन्फ्रा डवलपर्स लिमिटेड सी 1 वैशाली नगर जयपुर के नाम खातेदारी था इस रकबा के कृषि भूमि से गैर मुमकिन हेतु संपरिवर्तन आदेश को किसी भी न्यायालय ने निरस्त नहीं किया है तथा संपरिवर्तन आदेश आज भी प्रभावी है। फिर भी उत्तरवादी न0 2 ने जैर अपील इंतकाल से अपीलांट का गैर मुमकिन रकबा उत्तरवादी न0 1 के नाम गैर मुमकिन दर्ज कर दिया इसलिए इंतकाल काबिल निरस्ती है। अतः अपील स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश दिनांक 2.2.2023 जिससे इंतकाल संख्या 1225 स्वीकार किया गया है निरस्त किया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने कथन किया कि उक्त प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में दिनांक 9.5.2024 को राजीनामे के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.11.2022 व संभागीय आयुक्त बीकानेर का आदेश 25.01.2023 निरस्त किये जा चुके है। जिसकी पालना में तहसीलदार सूरतगढ द्वारा इंतकाल संख्या 1225 निरस्त कर नामांतरकरण संख्या 770 की स्थिति बहाल की है। वर्तमान में रकबा नगरपालिका सूरतगढ के नाम दर्ज रिकार्ड है। अतः अपील खारिज योग्य है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में राजीनामे के आधार पर निर्णय दिनांक 9.5.2024 को संभागीय आयुक्त बीकानेर का आदेश 25.01.2023 व अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.11.2022 निरस्त किये जा चुके है। जिसकी पालना में तहसीलदार सूरतगढ द्वारा इंतकाल संख्या 1225 निरस्त कर नामांतरकरण संख्या 770 की स्थिति बहाल की है। प्रकरण का निस्तारण अपर न्यायालय में राजीनामें के आधार पर हो चुका है अतः इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में भी इंतकाल संख्या 1225 को दिनांक 2.2.2023 को निरस्त करने का अनुतोष चाहा गया है। तहसीलदार सूरतगढ द्वारा इंतकाल संख्या 1225 दिनांक 02.02.2023 निरस्त किया जा चुका है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से निरस्त किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

आज दिनांक 27.08.2024 को निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर सुनाया गया।

27/8/24

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ (जिला-श्री गंगानगर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सूरतगढ (जिला-श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.27 18:05:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner